

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 23, 1943)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन

आज मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11.47 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भ गृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वमेव निलंबित हो गये :-

- 1 श्री धरमलाल कौशिक
- 2 डॉ.रमन सिंह
- 3 श्री बृजमोहन अग्रवाल
- 4 श्री पुन्नूलाल मोहले
- 5 श्री अजय चन्द्राकर
- 6 श्री नारायण चंदेल
- 7 श्री शिवरतन शर्मा
- 8 श्री सौरभ सिंह
- 9 श्री डमरूधर पुजारी
- 10 श्री रजनीश कुमार सिंह
- 11 श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
- 12 श्री प्रमोद कुमार शर्मा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन मध्यान्ह 12.10 बजे समाप्त किया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा